261

संख्याः /XXVI/दो(06)/2017

प्रेषक,

भूपाल सिंह मनराल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
अर्थ एवं संख्या,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

नियोजन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 20 अप्रैल, 2017

विषयः– <u>वित्तीय वर्ष 2017–18 के लेखा अनुदानों की वित्तीय स्वीकृतियाँ निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में है।</u>

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/2017, दिनांक 31.03.2017 **(छायाप्रति संलग्न)** में दिये गये दिशा–निर्देशों एवं आपके पत्र संख्या–102/3–ले0/बजट/2017–18, दिनांक 10.04.2017 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि लेखानुदान वित्तीय वर्ष 2017–18 के अनुदान सं0–07 के अधीन लेखाशीर्षक–3454–जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02–सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 001–निदेशन तथा प्रशासन, 03–अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान के अधीन संलग्न विवरणानुसार धनराशि **₹ 75508 हजार (₹ सात करोड़ पच्चपन लाख आठ हजार मात्र)** एवं लेखाशीर्षक–3454–जगनणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 02 सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी, 800–अन्य व्यय, 03–एन0आई0सी0 स्टेट यूनिट को अनुदान की मानक मद सं0–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के अन्तर्गत धनराशि **₹ 67 हजार (₹ सड़सठ हजार मात्र)** अर्थात कुल धनराशि **₹ 75575 हजार (₹ सात करोड़ पच्चपन लाख पिचहत्तर हजार मात्र)** की धनराशि व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित प्रतिबंधों/शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

i. धनराशि का व्यय वित्त विभाग के उपर्युक्त शासनादेश संख्या–312, दिनांक 31 मार्च, 2017 में दिये गये निर्देशानुसार ही किया जायेगा एवं उक्त शासनादेश में वर्णित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

ii. अवचनबद्ध मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर ही किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नहीं की जायेगी एवं न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा। अवचनबद्ध मदों के सम्बन्ध में मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष के प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के सम्बन्ध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी और तद्नुसार प्रत्येक मद के सम्बन्ध में प्राविधानित आवंटित धनराशि के सापेक्ष बचत का लक्ष्य पूर्व में ही निर्धारित कर बचत सुनिश्चित की जायेगी।

iii. मानक मद सं0–20–सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता' तथा मानक मद '42–अन्य व्यय' के अन्तर्गत प्रशासकीय विभाग/बजट नियंत्रण अधिकारी द्वारा आहरण–वितरण अधिकारियों को अपने स्तर से इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत की जायेगी कि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी एवं द्वितीय किश्त को प्रथम किश्त के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरांत ही जारी किया जायेगा।

iv. बजट प्राविधान किसी भी लेखाशीर्षक/मद के अन्तर्गत व्यय की अधिकतम सीमा को ही प्राधिकृत करता है। अतः बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जाय।

v. व्यय करने के पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें व्यय करने के पहले ऐसी स्वीकृति अवशय प्राप्त कर ली जाय तथा वित्तीय स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त की जाय।

vi. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली–2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 (वित्तीय अधिकार प्रतिनिधायन नियम) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 (लेखा नियम), आय–व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल) तथा अन्य सुसंगत नियमों, शासनादेशों आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

vii. एन0आई0सी0 द्वारा उक्त धनराशि का उपयोग उन्हीं कार्यों हेतु किया जायेगा, जो कार्य सक्षम स्तर से स्वीकृत हों तथा उक्त प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य प्रयोजन हेतु स्वीकृत धनराशि व्यय नहीं की जायेगी।

viii. संलग्न वर्णित धनराशि का समय से उपयोग करने के लिए यह सुनिश्चित करें कि धनराशियों को परिधिगत अधिकारियों को तत्काल अवमुक्त कर दिया जाए तथा व्यय का विवरण नियमित रूप से प्रतिमाह विलम्बतम 10 तारीख तक बी0एम0–8 (पुराना बी0एम0–13) पर शासन को उपलब्ध कराया जाए।

ix. उक्त व्यय संलग्नक में अंकित तालिकानुसार लेखानुदान वर्ष 2017–18 के अनुदान सं0–07 के अधीन लेखाशीर्षक–3454 के सुसंगत उपलेखाशीर्षकों के अधीन डाला जायेगा।

2. यह आदेश वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–312/3(150)/XXVII(1)/ 2017, दिनांक 31 मार्च, 2017 में दिये गये दिशा–निर्देशों के क्रम में जारी किये जा रहे हैं।

3. वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–183/XXVII(1)/2012 दिनांक 28.03.2012 तथा तद्क्रम में समय–समय पर निर्गत अन्य आदेशों के अधीन दिये गये निर्देशों के क्रम में सॉफ्टवेयर से किये गये बजट आवंटन सम्बन्धी आवंटन प्रपत्र की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय,

/

(भूपाल सिंह मनराल)
अपर सचिव

सं0– 80 / XXVI/दो(06)/2017 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार उत्तराखण्ड, ओबरॉय बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।
2. निदेशक, कोषागार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
4. वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत लेखा एवं भुगतान कार्यालय, साईबर ट्रेजरी, देहरादून।
5. वित्त अनुभाग–5, उत्तराखण्ड शासन।
6. समन्वयक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रजनीश जैन)
अनुसचिव।

शासनादेश संख्या: 80 /XXVI/दो(06)/2017, दिनांक 20 अप्रैल, 2017 का संलग्नक।

राजस्व व्यय

(धनराशि हजार ₹ में)

शीर्षक	लेखानुदान वर्ष 2017—18 में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति	
	मतदेय	भारित
अनुदान सं0—07 **3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी** **02—सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी** **001—निदेशन तथा प्रशासन** **03—अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान**		
01—वेतन	61910	
02—मजदूरी	67	
03—मंहगाई भत्ता	3714	
04—यात्रा व्यय	333	
05—स्थानान्तरण यात्रा भत्ता	133	
06—अन्य भत्ता	2889	
07—मानदेय	17	
08—कार्यालय व्यय	250	
09—विद्युत देय	167	
10—जलकर/जल प्रभार	27	
11—लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	117	
12—कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	67	
13—टेलीफोन व्यय	167	
14—स्टाफ कार व्यय	0	
15— गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल की खरीद	467	
16—व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3667	
17—किराया, उपशुल्क पर व्यय	333	
18—प्रकाशन	250	
26—मशीनों और सज्जा/उपकरण और संयंत्र	67	
27—चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्तिच	333	
42—अन्य व्यय	83	
44—प्रशिक्षण	67	
45—अवकाश यात्रा व्यय	50	
46—कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्वेयर का कय	100	
47—कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का कय	233	
(₹ सात करोड़ पच्चपन लाख आठ हजार मात्र)	**75508**	

<u>एन0आई0सी0 स्टेट यूनिट को अनुदान</u>

(धनराशि हजार ₹ में)

शीर्षक	लेखानुदान वर्ष 2017—18 में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति	
3454—जनगणना सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी **02—सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी** **800—अन्य व्यय** **03—एन0आई0सी0 स्टेट यूनिट को अनुदान**	**मतदेय**	**भारित**
20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	67	—
योगः— (₹ सड़सठ हजार मात्र)	**67**	—

(भूपाल सिंह मनराल)
अपर सचिव।

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Planning (S036)

आवंटन पत्र संख्या - Two(06)/2017 | अलोटमेंट आई डी - S1704070352

अनुदान संख्या - 007 | आवंटन पत्र दिनांक -20-Apr-2017

HOD Name - Director Economic & Statistics (2934)

लेखा शीर्षक 3454 - जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी | 02 - सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

001 - निदेशन तथा प्रशासन

03 - अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान

00 - अर्थ एवं संख्या अधिष्ठान

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
01 - वेतन	0	61910000	61910000
02 - मजदूरी	0	67000	67000
03 - महंगाई भत्ता	0	3714000	3714000
04 - यात्रा व्यय	0	333000	333000
05 - स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0	133000	133000
06 - अन्य भत्ते	0	2889000	2889000
07 - मानदेय	0	17000	17000
08 - कार्यालय व्यय	0	250000	250000
09 - विद्युत देय	0	167000	167000
10 - जलकर / जल प्रभार	0	27000	27000
11 - लेखन सामग्री और फार्मों की छ	0	117000	117000
12 - कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	0	67000	67000
13 - टेलीफोन पर व्यय	0	167000	167000
15 - गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्	0	467000	467000
16 - व्यावसायिक तथा विशेष सेवा	0	3667000	3667000
17 - किराया, उपशुल्क और कर-स्व	0	333000	333000
18 - प्रकाशन	0	250000	250000
26 - मशीनें और सज्जा /उपकरण औ	0	67000	67000
27 - चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	0	333000	333000
42 - अन्य व्यय	0	83000	83000
44 - प्रशिक्षण व्यय	0	67000	67000
45 - अवकाश यात्रा व्यय	0	50000	50000
46 - कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर	0	100000	100000
47 - कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी	0	233000	233000
	0	75508000	75508000

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 75508000

बजट आवंटन वित्तीय वर्ष - 20172018

Secretary, Planning (S036)

आवंटन पत्र संख्या - Two(06)/2017

अनुदान संख्या - 007

अलोटमेंट आई डी - S1704070353

आवंटन पत्र दिनांक -20-Apr-2017

HOD Name - Director Economic & Statistics (2934)

1: **लेखा शीर्षक** 3454 - जनगणना,सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी | 02 - सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी

800 - अन्य व्यय

03 - एनआईसी स्टेट यूनीट को अनुदान

00 - एनआईसी स्टेट यूनीट को अनुदान

Voted

मानक मद का नाम	पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	योग
20 - सहायक अनुदान/अंशदान/राज	0	67000	67000
	0	**67000**	**67000**

Total Current Allotment To Head Of The Department In Above Schemes - 67000